

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

शारदा बनाम जीया देवी आदि

सम मुकदमा 188 आर.टी.एक्ट

नम्बर 167 सन 2023

जी सी.एम.एस. आईडी 2023/371

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इणिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
11/2023	<p>वादिया शारदा पुत्री देवाराम पत्नि श्री गोपीराम जाति नायक सा0 22 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री किशोर कुमार सोलकी अधिवक्ता ने वाद-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.01.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">2 (भारती फूलफकर) आर.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p> <p>21/12/24 वकील वादीगण/ वादी शारदा देवी ने अपत्र प्रस्तुत कर विवेक किया कि वादिया का प्रतिवादीगण के साथ शर्जी नामा हो चुका है अतः उक्त वाद में आगामी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं एवं स्वयं वाद के फौज किया जाव। अतः वादिया के शर्जी पत्र के माध्यम पर आगामी कार्यवाही नहीं स्वयं स्वयं विद्वे की जाती है पत्रावली निमित्त स्वीकर वाखिल स्वयं ही अतिरिक्त मुले न्यायालय के हुनाथा था।</p> <p style="text-align: center;">2 उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	<p>11/21 8/11/23</p>

